न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 969–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–02–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 4/ए–6/2012–13.

.....

1–श्रीमती गायत्री महालहा पत्नि श्री अनूप महालहा
2–श्रीमती मनीषा महालहा पत्नि श्री अजय महालहा
3–श्रीमती शिवानी महालहा पत्नि श्री अखिलेष महालहा
निवासीगण ग्राम जुझारपुर तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद म0प्र0
4–नीरज कुमार पटैल उर्फ राजा पटैल पुत्र स्व0श्री वीरेंद्र कुमार पटैल,
निवासी वार्ड नम्बर 1 पुरानी इटारसी जिला होशंगाबाद

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–ब्रजेश कुमार वामने पिता श्री रमेश कुमार वामने
निवासी पुरानी इटारसी तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद म0प्र0
2–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री जी0डी0अग्रवाल, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 26/11/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार इटारसी के संशोधन पंजी कमांक 33 पर पारित प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 28–5–2010 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 9–10–12

को प्रस्तुत की गई । चूँकि अनावेदक अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, इसलिये अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–2–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई, साथ ही विलम्ब क्षमा भी किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक कमांक 4 विक्रेता द्वारा दिनांक 28–5–2010 को आवेदक कमांक 1 लगायत 3 क्रेताओं के पक्ष में नामान्तरण करने की सहमति दी गई, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है कि आवेदक कामंक 4 को सूचना नहीं देने से नामान्तरण पर विरोधाभासी तथ्य होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है । यह भी कहा गया कि अनावेदक केवल शिकायतकर्ता है और शिकायतकर्ता को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुमति देने में अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि में पक्षकार नहीं है, इसलिये उसे सूचना दिये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । आवेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि आवेदक कमांक 4 से कय की गई और तहसीलदार द्वारा आवेदक कमांक 4 को सूचना दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया है और न ही प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया गया है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे हैं, इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक 1 लगायत 3 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है । अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन नामान्तरण से उसके हित प्रभावित हो रहे हैं अथवा प्रश्नाधीन भूमि पर उसका किसी प्रकार का कोई स्वत्व है। तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण आदेश में विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 1 प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में हितबद्ध पक्षकार नहीं है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने में पूर्णत अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–5–2010 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 9–10–2012 को लगभग 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का समाधानकारक कारण अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा नहीं दर्शाया गया है कि किन परिस्थितियों में उसके द्वारा किस दिनांक को फर्द बटांन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में भी पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । दर्शित परिस्थितियों अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2014 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर